भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्याः 211
उत्तर देने की तारीखः 10.12.2024

सफाईकर्मियों की सुरक्षा

*211. **श्री बाबू सिंह कुशवाहाः**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना तथा विमुक्त और घुमंतू जनजाति आर्थिक सशक्तिकरण योजना के तहत अब तक कितने लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है;
(ख) नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते) के तहत सफाईकर्मियों के लिए सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;
(ग) नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कितने जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं; और
(घ) वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

सफाईकर्मियों की सुरक्षा के संबंध में श्री बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा दिनांक **10.12.2024** के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या **211** के भाग (क) से (घ) के उत्तर में वक्तव्य।

(क) वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या 1,55,208 है। विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों [डी नोटिफाइड ट्राइब्स (डीएनटी)] के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना [स्कीम फॉर इकनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीस् (सीड)] के अंतर्गत 1305 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाए गए, जिनमें आजीविका घटक के अंतर्गत 11,823 लाभार्थी शामिल हैं और डीएनटी के लोगों को 9,005 आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं।

(ख) नमस्ते योजना के तहत, 57,758 सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों का प्रोफाइल तैयार किया गया है, जिनमें से 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 54,574 को मान्य किया गया है। आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों के लिए कुल 16,791 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट की आपूर्ति की गई है। 13,604 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए 503 सफाईकर्मियों और उनके आश्रितों को रु. 13.96 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी जारी की गई है। इसके अलावा, नमस्ते योजना के तहत मैनुअल स्कैवेंजर श्रेणी से संबंधित 226 लाभार्थियों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक स्वरोजगार परियोजनाएं शुरू करने के लिए 2.85 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी जारी की गई। वित्त वर्ष 2023-24 से नगर निगम/नगर पालिका आदि में सीवर और सेप्टिक टैंकों की परिसंकटमय सफाई की रोकथाम पर 837 कार्यशालाएं भी आयोजित की गई हैं।

(ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त, 2020 को 272 चिन्हित सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया। अगस्त, 2023 से, एनएमबीए को देश भर के सभी जिलों में विस्तारित किया गया है।

(घ) वर्ष 2023-24 के दौरान, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी), राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) और मोबाइल मेडिकेयर यूनिट (एमएमयू) इत्यादि के माध्यम से लाभार्थियों को दी गई सहायता की कुल संख्या 2,20,404 थी।

यद्यपि, 'दिव्यांगजनों को राहत' का विषय भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार राज्यों का है, केन्द्र सरकार अपनी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। वर्ष 2023-24 के दौरान, सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद / फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता (एडिप) 346864 लाभार्थियों को उपलब्ध कराई गई थी। दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत 30589 लाभार्थी, छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत 29374 और स्कीम फॉर इम्प्लिमेन्टेशन ऑफ द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसाबिलिटीस ऐक्ट, 2016 (सिपडा) की कौशल विकास योजना के अंतर्गत 9333 लाभार्थी लाभान्वित हुए।

*****